

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)
क्रमांक क/वाचक-1/2017 /367 घरघोड़ा दिनांक 25 फरवरी, 2017
प्रति

कलेक्टर
(भू-अर्जन शाखा)
रायगढ़

विषय- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन के संबंध में प्रतिवेदन देने बावत्।

विषयान्तर्गत अवर सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 5106/आर0एन0 2896/सात-1/2016 दिनांक 09.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार एन.टी.पी.सी.तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत महाप्रबंधक द्वारा निम्नांकित ग्रामों के निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु कलेक्टर महोदया रायगढ़ द्वारा विशेष गठित दल द्वारा इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

1. कंचनपुर
2. बनाई
3. बासनपाली
4. नूनदरहा
5. डोलेसरा
6. जरेकैला
7. मौहापाली
8. केराखोल
9. पतरापाली
10. बरकसपाली

2- उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन "आवेदक कंपनी एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है" के संबंध में तहसीलदार तमनार एवं घरघोड़ा से पृथक से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया गया। तदनुसार विशेषज्ञ दल द्वारा उपर्युक्त ग्रामों का प्रस्तुत अंकन/प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

सहपत्र- 10 ग्राम का
प्रतिवेदन


अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़
25/2/17

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

—:: ईशतहार::—

ग्राम कंचनपुर, बनाई, बासनपाली, नूनदरहा, डोलेसरा, जरेकेला, मौहापाली, केराखोल, पतरापाली एवं बरकसपाली तहसील घरघोड़ा की निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत मूल्यांकन हेतु एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली से प्राप्त प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच कर अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईशतहार के साथ पृथक से संलग्न है)।

इस प्रकार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में इस कार्यालय द्वारा दिया गया अभिमत दिनांक 25.02.2017 का प्रकाशन उक्त ग्रामों (पृथक-पृथक) में ईशतहार के माध्यम से प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक 08 मई, 2017 तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17.04.2017 को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।



अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत
सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

प्रति,

कलेक्टर रायगढ़ छ.ग.

विषय:— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

संदर्भ:— आपका आदेश क्रमांक 110805/भू-अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16.12.2016

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने कष्ट करें। इस आदेश के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा द्वारा जारी पत्र क्रमांक क/वाचक-1/2017/घरघोड़ा दिनांक 13 जनवरी 2017 के अनुपालन में दिनांक 28.01.2017 को समिति की बैठक संपन्न हुई सभी नामांकित सदस्य उपस्थित रहे बैठक में ग्रामवार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आकलन किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

ग्राम जरेकेला, तहसील— तमनार, जिला रायगढ़

- प्रस्तावित अधिग्रहण एनटीपीसी लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम के लिए है। जिसका मुख्य लक्ष्य विद्युत उत्पादन है इस उपक्रम की एक



इकाई ग्राम लारा में संयन्त्र स्थापित किया जा चुका है। इस संयन्त्र को आवश्यक कोयले के खदाने तिलाईपाली कोल ब्लॉक रायगढ़ में दिनांक 25.01.2006 को आबंटित की जा चुकी है। इस खदान से उत्पादित होने वाले कोयले का सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु एक डबल रेल लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। जाहिर है यह प्रस्तावित अधिग्रहण रैखीक (LINEAR) होगा अर्थात् भूमि में निश्चित चौड़ाई और एक लम्बी दूरी तक भूमि अधिग्रहित की जायेगी। जिससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या तो अधिक होती है। परन्तु अर्जित किया जाने वाले रकबा कम होता है। अतः अधिकतर प्रकरणों में कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन नहीं खोता।

- प्रस्तावित अधिग्रहण में आने वाला क्षेत्र अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है, एवं अधिसूचित क्षेत्र है। तदनुसार P.E.S.A. का पालन आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम सभा का आयोजन कर अधिग्रहण का अनुमोदन किया गया है जो कि संलग्न है (अनु. क.) ।
- सामाजिक अध्ययन दल द्वारा खसरा नं. कुल 12 का कुल रकबा 2.15 एकड़ जमीन का प्रस्तावित अधिग्रहण प्रतिवेदित किया है। इसकी पुष्टी संबंधित राजस्व अभिलेखों से कि गई। इस अधिग्रहण से कुल 5 व्यक्ति प्रभावित होंगे। 5 अन्य संवर्ग का है। तथा 3 सामान्य, 2 सीमांत कृषक है। जिसका विवरण संलग्न है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की किसी भी व्यक्ति की पुरी जमीन नहीं जा रही है।
- वस्तुतः इस ग्राम में इस रेल लाईन को बिछाने के लिये भूमि अधिग्रहण पूर्व में ही किया जा चुका है, यह रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है पूर्व में किये गये अधिग्रहण में इन प्रस्तावित अधिग्रहण की भूमि छूट गई थी, स्थल पर जांच करने में यह स्पष्ट हुआ कि यह भूमि अधिग्रहण करने से छूट गई है, और जब तक इन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता तब तक पूर्व में किया गया अधिग्रहण पर कार्य नहीं किया जा सकता और न ही रेल लाईन बिछाई जा सकती है अतः यह अधिग्रहण आवश्यक है।
- रेल लाईन के लिये आवश्यक अधिग्रहण निश्चित ही कम से कम दूरी को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। इस परियोजना के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा



गया है। कि कोई भी बसाहट, अबादी भवन, सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा स्कूल, अस्पताल, बाजार इत्यादि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है और न ही वह भूमि अधिग्रहण में शामिल है, जहां तक वैकल्पिक भूमि का प्रश्न है, विकल्प उपलब्ध नहीं है, आस - पास भी कोई अन्य भूमि या शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है।

- न्यूनतम भूमि ही अधिग्रहित की जा रही है इसका परीक्षण तकनीकी विशेषज्ञ ने प्रस्तुत किया है, जिनकी रिपोर्ट पृथक से संलग्न है (अनु. क.) । उन्होने भी यह पाया है की भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है। वह न्यूनतम है और भारतीय रेल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है।
- समिति के संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सूचित किया गया की आवेदक कम्पनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है।
- प्रारम्भिक सामाजिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रभावित होने वाले ग्रामों में जन सुनवाई का आयोजन किया गया और अधिग्रहण के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं आया। केवल ग्राम में कतिपय सार्वजनिक सुविधाएं देने का आग्रह किया गया जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया।
- प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में प्रभावितों से निर्धारित प्रपत्र में सहमति ली गई जो संलग्न है (अनु. क.) ।
- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
- प्रस्तावित अधिग्रहण ग्राम लारा में स्थापित हो चुके एनटीपीसी जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। के लिये खदानों से उत्पादित कोयले के सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु किया जा रहा है। इससे कोयले के आवाजाही से सड़क मार्ग से परिवहन में होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। कोयले के निरन्तर उपलब्धता से विद्युत संयन्त्र का उत्पादन लगातार बना रहेगा और संयन्त्र के लिये यह रेल

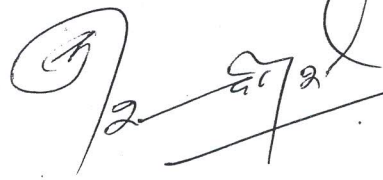


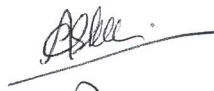
लाईन एक जीवन रेखा प्रमाणित होगी। विद्युत उत्पादन वह भी शासकीय उपक्रम द्वारा निश्चय ही लोक प्रयोजन के लिये ही किया जाता है। इस संयन्त्र से उत्पादित होने वाली विद्युत उत्पादन से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्चे और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि न्यूनतम है और अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। विस्थापितों की संख्या शून्य है। प्रभावितों की संख्या केवल 5 है जिनमें उनके कुल खाते का बहुत छोटा हिस्सा अधिग्रहित होना प्रस्तावित है। फलतः ग्राम जरेकेला की खसरा नं 309/1, 652/2, 655/9क, 655/11क, 655/9ख, 655/11ख, 407/1,2,3,4,5, 408/1, रकबा कमशः 0.58, 0.08, 0.010, 0.11, 0.35, 0.29, 0.14, 0.50 एकड़ की भूमि अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

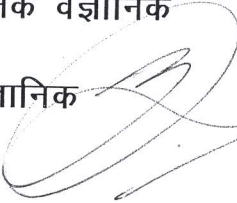
एस. जयवर्धन
अनुविभागीय अधिकारी


सूधीर डान्डेकर
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ

1. श्री.एस.पी.दीक्षित, पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ
2. श्री. हरिलाल, तकनीकी विशाेषज्ञ
3. श्रीमती आशा शिव शर्मा, जनप्रतिनिधि
4. श्री. राधेश्याम राठिया, जनप्रतिनिधि
5. श्री. गंगाधर वैष्णव, गैर सामाजिक वैज्ञानिक
6. योगेश शर्मा, गैर सामाजिक वैज्ञानिक








विषय - लघु टी.पी.सी. रेल्वे कारीडोर परियोजना
समाजिक समाधान हेतु जन सुनवाई के
संबंध में

दिनांक :-

रमेश : 408/1

हरिश्चन्द्र : 652/2

उदयशंकर : 655/5

कमलेश : 655/5

वैकुण्ठ/आ.पू.११/५३/५५/६ के बारे में

लघु टी.पी.सी. जमीन का रेल वाइडिंग में

लघु टी.पी.सी. के गलत डिजाइन का निर्माण शर्त

जो रेलवे के द्वारा रेल लाइन में जनसुनवाई के लिए

जो रेलवे है

विषय : तलाक़िपार की समस्या खंड में लघु टी.पी.सी. के

रेल वाइडिंग न करने के कारणों के

निर्माण : निर्माण के रेल वाइडिंग डिजाइन को

लघु टी.पी.सी. का रेल लाइन है।

इसके लिए जो रेल लाइन में लघु टी.पी.सी.

लघु टी.पी.सी. के डिजाइन का डिजाइन

है रेलवे को डिजाइन के 25% सुधार

वांछना

ग्राम पंचायत जैरेडिंग के लघु टी.पी.सी.

के गलत डिजाइन आरक्षण के लिए लघु टी.पी.सी.

निर्माण के लिए निर्माण के लिए लघु टी.पी.सी.

के गलत डिजाइन के लिए लघु टी.पी.सी.

ग्राम पंचायत लघु टी.पी.सी. निर्माण के लिए लघु टी.पी.सी.

लघु टी.पी.सी. के लिए लघु टी.पी.सी. के लिए लघु टी.पी.सी.

(1) लघु टी.पी.सी. के लिए लघु टी.पी.सी.

(2) लघु टी.पी.सी. के लिए लघु टी.पी.सी.

(3) लघु टी.पी.सी. के लिए लघु टी.पी.सी.

उपस्थित ग्राम पंचायत के कार्यालय

कमरा नं. १०००, बंगला, बंगला, जिला जौ

महाराष्ट्र, मुंबई, उन्निट, मुंबई, न. महाराष्ट्र

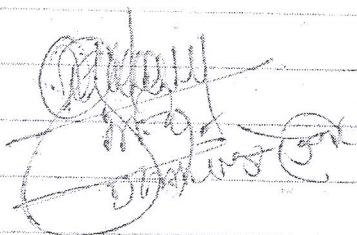
जिला नं. १०००, बंगला, बंगला, जिला जौ

महाराष्ट्र, मुंबई, उन्निट, मुंबई, न. महाराष्ट्र

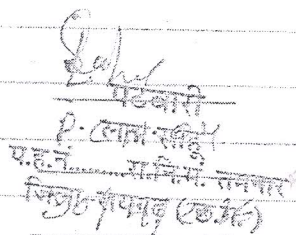
जिला नं. १०००, बंगला, बंगला, जिला जौ

महाराष्ट्र, मुंबई, उन्निट, मुंबई, न. महाराष्ट्र

जिला नं. १०००, बंगला, बंगला, जिला जौ


P. Laxman
P. Laxman


P. Laxman
P. Laxman


P. Laxman
P. Laxman

आमाजिक समाधान जनसुनवाई
जरेकेला

दिनांक - 30/04/20

1	बिद्याधर राठिया	बिद्याधर
2	कार्तिक बेहरा	कार्तिक बेहरा
3	नारायण राठिया	नारायण राठिया
4	गिरधारी लाल राठिया	गिरधारी लाल राठिया
5	दीनदयाल राठिया	दीनदयाल
6	पद्मनिधि राठिया	पद्मनिधि राठिया
7	श्रीमती 11 मली (बेहरा)	श्रीमती
8	Sanjay Kumar Behra	
9	अमर राठिया	अमर राठिया
10	कुशल लाल सिवा	कुशल लाल सिवा
11	Chandrakumar	Chandrakumar
12	Gyanendra Kumar	Gyanendra Kumar
13	महेन्द्र कुमार	महेन्द्र कुमार
14	बिनोद कुमार बेहरा	बिनोद कुमार
15	कपिल प्रसाद	कपिल प्रसाद

ग्राम - ~~देवेयन~~ उपस्थिति पंजी
जरे के लो

16	हनु राम	हनु
17	मनोहरान दाधान	मनोहरान
18	लण - क - नेहर	ने
19	सुदर्शन सिंग	सुदर्शन
20	राम कुमार	राम कुमार
21	सरस्वती बाई	
22	हरमिठकुमार	हरमिठ
23	रोहित	रोहित
24	भा. फट	भा. फट
25	देव	देव
26	राधाबहा	राधा साध्या
27	बिहारी लाल	पिहारी लाल
28	रामा व्यास	रामा व्यास
29	सिता राम	सिता राम
30	हरि	हरि

सामाजिक समाचार अनुसूची
ग्राम-जरेकेला उपस्थिति पंजी

31	रामलाल	रामलाल
32	जीत राम	जीत राम
33	करम साय	करम
34	मंगल राम	मंगल राम
35	सिपा राम	सिपा
36	करम सिंह	करम सिंह
37	मोहन सिंग	
38	रामा वार	राम वार
39	श्याम कुमार	श्याम
40	हरि राम	हरि
41	सिद्धर सिंग	सिद्धर
42	अमर राम	अमर राम
43	श्याम कुमार	श्याम कुमार
44	बाबु लाल	बाबु लाल
45	श्याम लाल	श्याम लाल

13

04/16

46	नरहरि सिंग	
47	राम व्यास	Rambhar
48	कमलाल	Kamnalal
49	श्याम मोहन	श्याम मोहन
50	भानु राय	Bhanu
51	रामलाल	रामलाल
52	बीजय कुमार	बीजय
53	राम प्रसाद सिंग	राम
54	गुरुन सिंग राठिया	
55	जगनल राठिया	
56	रतिलाल राठिया	
57	गुलाब राठिया	गुलाबराय
58	चन्दीका राठिया	चन्दीका
59	राम व्यास	रामव्यास
60		

61 श्री पी. लड्डे महाराष्ट्र 20/11/16

62 श्री लाला पटेल FIR

63 एम. एल. नंदेल महाराष्ट्र

64 डॉ. एल. प्रकाश डॉ. मि. डॉ. मि.
कोमो परि महाराष्ट्र सरकार नुमा 20/11/16

65 सामाजिक

66 डिगेश पटेल
महाराष्ट्र सरकार 20/11/16

67 श्री. एन. चांदरी महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र 20/11/16

68 कुल सिंह राठिया सरपंच 20/11/16

69

70 श्रीमती लता साहू
Behera
PCN-4
20/11/2016

71

72

प्रभावित खातेदार का विवरण

ग्राम जरेकेला प0ह0न0 राजस्व निरीक्षक मण्डल तमनार तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक	खातेदार का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेयर	रकबा अर्जित (हेक्टेयर)	रकबा अर्जित (ए०)	उस खाते का कुल क्षेत्रफल जिसमें अर्जित भू-खण्ड स्थित हो (हेक्टेयर)	किसम जमीन मौके के अनुसार	उगाई गई पिछली फसल	कृषक का प्रकार	जाति
1	गिरधारी पि. जगताराम जाति तेली	309/1	0.556	0.235	0.58	6.321	बहला	सिंचित	O	OBC
2	हरिचन्द्र पिता लागोराम जाति अघरिया	652/2	0.061	0.032	0.08	0.566	टिकरा	असिंचित	s	OBC
3	उदेराम पिता तिलकराम जाति अघरिया	655/9 क 655/11 क	0.040 0.045	0.040 0.045	0.10 0.11	3.095	खार	असिंचित	AM	OBC
4	फरसलाल पिता माखनलाल जाति अघरिया	655/9 ख 655/11 ख	0.142 0.116	0.142 0.116	0.35 0.29	0.375	खार	असिंचित	s	OBC
5	रमेशकुमार पि. माखनलाल जाति सोढ़ी	407/1 407/2 407/3 407/4 407/5 408/1	0.365 0.045 0.142 0.154 0.040 1.575	0.057	0.14	4.792	खार	असिंचित	M	OBC
योग	5	12	3.281	0.870	2.15	15.149				

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 'घरघोड़ा' जिला रायगढ़

सन्दर्भ:- कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ दत्तसगढ़ के पत्र क्रमांक

11805/भू अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16/12/2016

विषय:-

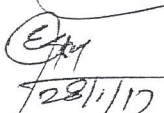
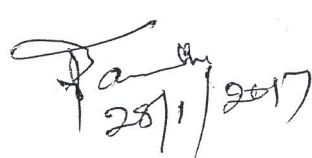
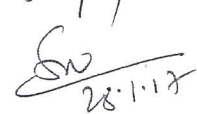
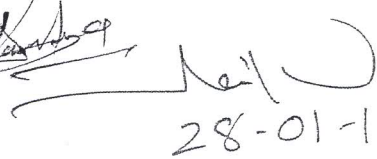
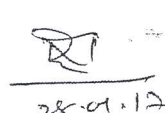
भू. भू. पुनर्वास और पुनर्विद्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और परदाशिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा के अन्वर्गत रणम समागिक समाघात प्रबंधन योजना के तहत ग्राम जेरेकेला तहसील तमनार जिला रायगढ़ के मूल्यांकन हेतु रिपोर्ट उपरोक्त विषयार्थित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा कि उपास्थिति में विद्यमान समूह के दल के सदस्यों के साथ घरघोड़ा में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक पर सम्बंधित विषयों पर सभी विन्दुओं पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान रणम सम्बंधित दस्तावेजों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि ग्राम जेरेकेला का पुराने अधिनियम के तहत भू अर्जन सम्पन्न हो चुका है। किसी अज्ञात कारणों से प्रस्तावित भूमि का भू अर्जन हो नहीं पाया। प्रस्तावित निम्नी भूमि तिलाई धाली कोलमाइन्स से द्वारा रन. टी. की. सी. तक रेलमार्ग द्वारा कोथला परिवहन के लिए रेलवे लाइन बनाने में आ रही है। अतः प्रस्तावित निम्नी भूमि का भू अर्जन आवश्यक है। पुनः प्रस्तावित भूमि का रकबा 1.75 एकड़ है। और प्रस्तावित ट्रैक की लम्बाई 2.20 K.M. है।

प्रस्तावित भूमि का भू-अर्जन रेलवे ट्रैक की दोहरी लाइन के लिए किया गया है। जिसमें फारमेशन को चौड़ाई दलान ट्रैक कि पानी निकासी के लिए गल्ली निष्कर्षों को ध्यान पर रख कर किया गया है। साथ ही ट्रैक कि मरम्मत की आवाजाही के लिए उपयोग में आने वाली जमीन को भी ध्यान में रखा गया है।

अतः यह स्थापित किया जाता है कि ग्राम जेरेकेला तहसील तमनार जिला रायगढ़ कि प्रस्तावित भूमि रेलवे ट्रैक के मापदण्डों के आधार पर किया गया है। अनावश्यक भूमि अर्जन नहीं की जा रही है।

टीलाब सेवानिवृत्त कार्यालय
अभिधेता द. भू. म. रं
बिलासपुर
5/2/17

आज दिनांक 28/01/2017 को तलाईपाली केल
माईनिंग परियोजना में आने वाले दस गांवों का
सामाजिक समाचार निधीयता एवं प्रबंधन हेतु
प्रस्तावित रिपोर्ट के चर्चा एवं अनुमोदन हेतु एक्सपर्ट
कमेटी की बैठक हुई, इस बैठक में निम्नलिखित
सदस्य गांव उपस्थित थे।

- | नाम | हस्ताक्षर |
|---|--|
| 1. — गांधी विसाई - | 
28/1/17 |
| 2. — योगेश शर्मा - |  |
| ③ Harlal - | 
28/1/17 → 8109188088 |
| ④ श्री Dixit - | 
→ 9425235366 |
| ⑤ Sudh. V. Dandekar | 
28/1/2017 → 9826870111 |
| ⑥ S. Jayaraman | 
28.1.17 |
| ⑦  |  |
| ⑧ राधेश्याम शर्मा |  |
| ⑨ C.M. Naik (G.M.TL) | 
28-01-17 |
| ⑩ N.M. Swen, Sr. Mgr., Temp | 
28.01.17 |